कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक / एन.एच.एम. / NTCP / 2026 / 3747-48 विदिशा दिनांक 21/05/2026

प्रति,

1. अधिष्ठाता
   अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडीकल कालेज विदिशा
2. सिविल सर्जन सह अधीक्षक
   श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय विदिशा
3. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला विदिशा

विषय :– राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह दिनांक 25 मई 2026 से 31 मई 2026 तक की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में।

संदर्भ :– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के पत्र कमांक / एन.एच.एम / एन.टी.सी.पी. / 2026 / 3038 भोपाल दिनांक 20.05.2026

–00–

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह दिनांक 25 मई 2026 से 31 मई 2026 तक तम्बाकू निषेध सप्ताह के रूप में मनाया जाना है तथा 31 मई 2026 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जनजागरूकता रेली का आयोजन किया जाना है। जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि तम्बाकू के सेवन से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभावों के प्रति, आमजन को जागरूक कर तम्बाकू के सेवन के रोकथाम हेतु राज्य स्तर वर्ष 2026 हेतु विश्व तंबाकू निषेद दिवस की थीम **"Unmasking the appeal: Countering Nicotine and Tobacco Addiction" (आकर्षण का पर्दाफाश-- निकोटिन और तम्बाकू की लत का मुकाबला)** निर्धारित की गई है।

विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह के दौरान निम्नानुसार गतिविधियाँ आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. तंबाकू निषेध शपथ कार्यक्रम का आयोजन :–

- दिनांक 31 मई 2026 को जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्था (जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र) स्तर पर सामूहिक "तंबाकू निषेध शपथ" आयोजित की जाए।
- समस्त स्वास्थ्य अधिकारी / कर्मचारी, विद्यार्थियों, शिक्षकों, आशा / ANM कार्यकर्ताओं एवं आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
- शपथ कार्यक्रम के माध्यम से तंबाकू सेवन न करने एवं दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संकल्प दिलाया जाए।
- बैठक में COTPA Act 2003 एवं PECA Act 2019 के क्रियान्वयन, प्रवर्तन कार्यवाही, Tobacco Free Educational Institutions, तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना का पालन किया जाए।
- बैठक में पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम / नगर पालिका, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, परिवहन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
- बैठक का कार्यवाही विवरण जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

2. समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएँ

- जिले के समस्त जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में तंबाकू निषेध जागरूकता सत्र आयोजित किए जाए।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर की गतिविधियों AAM Portal पर इन्द्राज किया जाना है।

- OPD एवं प्रतीक्षालय क्षेत्रों में मरीजों एवं परिजनों हेतु स्वास्थ्य शिक्षा सत्र संचालित किए जाएँ।
- चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग, COPD, उच्च रक्तचाप एवं अन्य NCDs के बारे में जानकारी दी जाए।
- तंबाकू त्याग हेतु परामर्श एवं व्यवहार परिवर्तन संबंधी संदेश प्रसारित किए जाएँ।
- स्वास्थ्य संस्थाओं में IEC सामग्री, पोस्टर, फ्लेक्स एवं डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित किए जाएँ।

3. **तंबाकू व्यसन मुक्ति केन्द्र (Tobacco Cessation Centre) का प्रचार–प्रसार :–**

- जिले में संचालित Tobacco Cessation Centres/Clinics की जानकारी आमजन तक पहुँचाई जाए।
- हेल्पलाइन नंबर, परामर्श सेवाएँ एवं उपचार सुविधाओं का प्रचार–प्रसार व्यापक स्तर पर किया जाए।
- तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें Tobacco Cessation Centre हेतु रेफर किया जाए।
- OPD, Dental Clinic एवं NCD क्लीनिक में Tobacco Use Screening ,एवं Brief Counselling सुनिश्चित की जाए।

4. **विशेष प्रवर्तन अभियान :–**

- COTPA Act 2003 एवं PECA Act 2019 के अंतर्गत विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किए जाएँ।
- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू विक्रय प्रतिबंध एवं नाबालिगों को तंबाकू विक्रय पर विशेष निगरानी रखी जाए।
- पुलिस एवं प्रशासन के साथ संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाए जाएँ।

5. **विद्यालय एवं महाविद्यालय आधारित गतिविधियाँ :–**

- Tobacco Free Educational Institution (ToFEI) Guidelines-2019 के अनुसार गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ।
- पोस्टर, भाषण, निबंध, चित्रकला एवं स्लोगन प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँ।
- विद्यार्थियों को निकोटिन की लत एवं ई–सिगरेट के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए।

6. **सामुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ :–**

- ग्राम एवं शहरी क्षेत्रों में रैली, प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, जनसंवाद एवं मानव श्रृंखला आयोजित की जाए।
- ASHA, ANM एवं अन्य मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर--घर जागरूकता अभियान संचालित किया जाए।
- NSS, NCC, NYKS एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

7. **मीडिया एवं सोशल मीडिया अभियान :–**

- स्थानीय समाचार पत्र, FM रेडियो, केबल नेटवर्क एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तंबाकू निषेध संदेशों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
- प्रतिदिन IEC संदेश, लघु वीडियो एवं जागरूकता पोस्ट साझा की जाए।

उपरोक्त गतिविधियों का पालन किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन की जानकारी दिनांक 31 मई 2026 तक ई–मेल cmhovid@nic.in एवं dmovidisha@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला विदिशा (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / एन.एच.एम. / NTCP / 2026 / 3747-48 विदिशा दिनांक 21 / 05 / 2026

प्रतिलिपि :–

1. मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल।
2. माननीय कलेक्टर महोदय जिला विदिशा।
3. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जिला विदिशा।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा।
5. उपसंचालक NTCP राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल।
6. उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विदिशा।
7. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला विदिशा।
8. जिला परिवहन अधिकारी जिला विदिशा।
9. जिला आयुष अधिकारी जिला विदिशा।
10. जिला नोडल अधिकारी NTCP विदिशा।
11. जिला शिक्षा अधिकारी जिला विदिशा।
12. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद् विदिशा।
13. प्राचार्य शासकीय नर्सिंग कालेज जीएनएमटीसी विदिशा।
14. खाद्य एवं औषधी निरीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला विदिशा (म.प्र.)